न्यायालय उपतहसीलदार विशाला,जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : देदाराम बामनिया

राजस्व आवेदन सं. 44 / 2025

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी नांद		फरसाराम पुत्र नारणाराम कौम मेघवाल सा. विशला आगोर

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक –26.08.2025

निर्णय

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का नांद द्वारा 14.08.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2082 के दौरान ग्राम मूलानी के खसरा नम्बर 711/383 कुल रकबा 45.1143 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आगोर भूमि में से 0.0083 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी नियत पेशी तारीख पर उपस्थित।
2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया है जो अवैध है।
3. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत एकतरफा कार्यवाही कर अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.01 का 50 गुणा रूपये 1/– (अक्षरे एक रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आंदेश पारित किये जाते है।
4. **भू–अभिलेख निरीक्षक सुरा एवं पटवारी नांद** को निर्देशित किया जाता हैं कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करावे। भू–अभिलेख निरीक्षक तथा त.रा.ले. तहसील हाजा निर्णय से सूचित हो। मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. निर्णय आज दिनांक **26.08.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप तहसीलदार विशाला
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

(देदाराम बामनिया)
उपतहसीलदार विशाला